कथन आवेदक

श्री नीरज गुप्ता पिता श्री मुन्नीलाल गुप्ता उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम मुख्य बाजार बरगवां थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (म0प्र0 मोबाइल नं0 7771822877 ।

---000---

मैं ए0 एण्ड जी0 कंपनी कोल्हापुर जिला कोल्हापुर (महाराष्ट) में सर्विस इंजीनियर के पद पर 2012–13 में कार्यरत था । दिनांक 15.02.2013 को मेरे मोबाइल नम्बर पर जो मोबाइल नंबर मुझे कंपनी दे रखी थी नम्बर याद नहीं है में दिल्ली से मेरे दोस्त सुरेश महतो का मोबाइल नम्बर 8716218796 से फोन आया कि बिप्रो में स्थाई रूप से काम करने के लिए कुछ पैसे सिकोरिटी मनी के रूप में देने होंगे और ज्वाइंनिंग हो जायेगी, और वह अपना आफर लेटर तथा ई–मेल आईडी दिखाई जो वास्तव में सही लगती थी। तव सुरेश महतो ने दिनांक 19.02.2013 को एक बैंक खाता जो आईसीआईसीआई का था खाता नंबर 082401500489 मेरे उक्त मोंबाइल नंबर पर मैसेज भेजा और बोला कि 20,000.00 रूपये इसी खाता में डाल दो, तव मैंने अपनी सुबिधानुसार उससे एक्सिस बैंक का खाता नंबर मांगा तव उसने उक्त दिनांक को ही मुझे एक्सिस बैंक का खाता नंबर 911010036113712 जो सन्धलिया आलोक कुमार के नाम सिटी सेन्टर ब्रांच धनवाद (झारखण्ड) का खाता था दिया । तब मैंने अपने एक्सिस बैंक ब्राच नोएडा–10 के बैंक खाता के एटीएम कार्ड से दिनांक 19.02.2013 को 8500/– रूपया, दिनांक 20.02.2013 को 1500/– रूपया एवं दिनांक 24.02.2013 को 10000/– रूपया राजारामपुरी एक्सिस बैंक एटीएम कोल्हापुर (महाराष्ट) से उक्त खाता कमांक 911010036113712 में फंड ट्रान्सफर किया । जिसके वाद बिप्रो कंपनी के द्वारा फोन पर दिनांक 21 फरवरी 2013 को इन्टरब्यू हुआ उसके बाद दिनांक 24 फरवरी 2013 को आफर लेटर मेल आइडी srinivasan@recruitment-wipro. com से आ गया था । आफर लेटर सिक्यूर्टी मे है न ही कुछ चेन्ज कर सकते है न हि प्रिन्ट कर सकते हैं । यह देख कर मै जिस कंपनी मे काम कर रहा था त्यागपत्र देकर अपने घर चला आया और ज्वाइनिंग का इन्तजार करने लगा और ज्वाइनिंग के लिये ईमेल आईडी के द्वारा कंपनी द्वारा कुछ प्रोसेस दिखाया गया पर काफी समस बीत जाने के बाद भी मेरी ज्वानिंग नही हुई । यह देख मै कंपनी के हेल्प आईडी के माध्यम से आफर लेटर सेन्ड कर अपनी ज्वानिंग की स्थिति जानने की कोसिस की तो कंपनी के द्वारा यह बताया गया कि आफर लेटर व सारी प्रकिया छल कपट है जिसका कंपनी से कोई लेना देना नही है पर जब मै कंपनी से यह जाननेकी कोसिस किया कि आफर लेटर और मेल आईडी कैसे गलत है आप प्रमाण दिजिये किन्तु कंपनी के द्वारा कोई जबाब नही दिया गया और कहा गया कि अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन मे जाकर एफ.आई.आर. करो यह सब देख कंपनी के कम्पलेण्ड साइट मे जाकर सारी मेल को सेन्ड कर जब जबाब मांगा तो कंपनी के द्वारा एक साइट बताई गई जहां से गलत मेल आईडी बनाई जाती है और उसी साइट मे मेसैज के द्वारा एक फेसबुक का लिंक दिया गया जिसमे कुछ आरोपियों को सी0बी0आई0 कोलकोता ब्रान्च के द्वारा पकड़ा गया दिखाया गया है और मुझसे रिक्यूस्ट किया गया कि मै अपना ईमेल आईडी और कानटेक्ट नंबर दू जिससे और सारे आरोपियों को पकड़ा जा सके तब मैने अपना ईमेल आईडी और कानटेक्ट नंबर सेन्ड कर दिया जिससे एक फोन नंबर 9051923234 से आया बताया गया कि वह

N.K. Gupta

नगर पुलिस अधीक्षक
विन्ध्यनगर, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

ब्यक्ति सौरभ आचार्या है, जिसे पूरी जानकारी मेरे द्वारा दिया गया तब सौरभ आचार्या के द्वारा बताया गया कि आलोक कुमार सेन्धालिया और मृदुल घोष नाम के दो ब्यक्ति पकड़े जा चुके है । मेरे द्वारा सौरभ आचार्या से इस बावत बार बार जानकारी लेने पर एक दिन सौरभ आचार्या ने यह बताया कि इस केश को आगे नही बढ़ाने के लिये राजनैतिक दबाव आ रहा है जिस कारण से मै केश को आगे नही बढ़ा पा रहा हूँ । तब मै सौरभ आचार्या पर सक किया चूकि सौरभ आचार्या से जो भी मै वार्तालाप करता रहा उसकी काल रिकार्ड करता रहा । दिनांक 04 अप्रैल 2014 को मै दिल्ली गया और जाकर सारी मेल आईडी व वाइस रिकार्ड की बिडियो बनाकर यूतूब मे डाल दिया और उसकी साइड को कंपनी को सेन्ड कर दिया और अपने लिये दूसरी कंपनी जाब सर्चिंग करने लगा । एक दिन ऐसा भी आया कि एक प्राइवेट कंपनी दिल्ली मे मेरा सलेक्शन हो गया और उसके अगले दिन मेरी ज्वानिंग होना था पर जिस दिन मेरा सलेक्शन हुआ उसी दिन कुछ लोग दिल्ली मे मेरा पीछा करने लगे यह देख कर मै अपनी जान को बचाते हुये दिल्ली अपने घर वापस चला आया और यहां से सभी बरिष्ट अधिकारियों/मंत्रियो को पत्र किया जिससे काफी पत्र ब्यवहार भी आये और इसके पूर्व थाना बरगंवा पुलिस द्वारा 15 नवम्बर 2014 को जांच भी गई थी किन्तु क्या कार्यवाही की गई है मुझे अभी तक अवगत नही कराया गया है । मुझे हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि मै बिश्व की पांचवे नंबर कि बिप्रे कंपनी के बिरुद्ध लिखा पढ़ी किया हूँ उक्त कंपनी के द्वारा मेरे साथ कोई भी जानलेवा घटना की जा सकती है इसी डर के कारण मै जांब के लिये कही बाहर नही जा रहा हूँ , यही मेरा कथन है ।

N.K. Gupta
26/3/15

सत्याप्रित

नगर पुलिस अधीक्षक
विन्ध्यनगर, जिला–सिंगरौली (म०प्र०)

26/3/15